

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 10, शक 1945

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2023

क्र. ई 5-1150 आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती मीनाक्षी सिंह, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक, इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24, 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

जनजातीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-927-आयएस-लीव-5-एक.—श्री प्रवीण सिंह अढायच, भाप्रसे (2012), कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 8 से 19 जनवरी 2024 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 एवं 20, 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

8745

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अढायच को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अढायच, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अढायच, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2023

क्र. ई-5-731-आयएस-लीव-5-एक.— श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति तथा पर्यटन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2023 द्वारा दिनांक 25 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2023 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 23, 24 सितम्बर एवं दिनांक 7, 8 अक्टूबर 2023 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 23, 24 एवं 30 सितम्बर 2023 तथा दिनांक 1, 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023

क्र. ई-5-766-आयएस-लीव-5-एक.— श्री शोभित जैन, भाप्रसे (2000), सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का दिनांक 11 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2023 तक, सैंतीस दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 19 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री शोभित जैन की अवकाश अवधि में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का प्रभार श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे (2007), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शोभित जैन द्वारा सदस्य, सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे (2007), सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 2023

क्र. ई-5-948-आयएस-लीव-5-एक.— श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा गुप्ता, को सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर, 2023

क्र. ई-5-1218-आयएस-लीव-5-एक.— श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे-2016, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24, 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मलिका निगम नागर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मलिका निगम नागर, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मलिका निगम नागर, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-859-आयएस-लीव-5-एक.— श्री भरत यादव, भाप्रसे-2008, विकअ-सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24, 25 दिसम्बर 2023 एवं 6, 7 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विक्रम-सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023

क्र. 2506-1932-2020-5-एक.—संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 36-02-2023-EO-(SM-I) (2), दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के अनुक्रम में, श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं अपर सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

क्र. 2508-2399-2020-5-एक.—संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 36-02-2023-EO-(SM-I) (3), दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के अनुक्रम में, श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएं महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन्स, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023

क्र. एफ 5-12-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री शील नागू मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर के पूर्ण वेतन भत्तों की स्वीकृति हेतु उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-5645-दो-1-6-13, दिनांक 19 सितम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 27 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक का एवं दिनांक 24 अगस्त 2023 का कुल आठ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

क्र. एफ 5-16-2022-एक-1.—माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.

उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-5887-दो-1-7-2021, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 में उल्लेखित अनुक्रम में, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 7 अगस्त 2023 का एवं दिनांक 2 सितम्बर 2023 का कुल दो दिवस पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

क्र. एफ-1-(ए) 27-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आलोक रंजन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रबन्ध) पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 24 नवम्बर 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 व 25-27 नवम्बर 2023 के विज्ञाप अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (योजना), पु. मु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रबन्ध) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2023

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए)-10-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2023 को निरस्त कर उसके स्थान पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 6 से 8 सितम्बर 2023 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ-1 (ए) 148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 8 सितम्बर 2023 तक, तीन दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 9 सितम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 155-93-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पु. मु., भोपाल को स्वयं का (TUR Bladder Tumor Surgery) एवं फालोअप उपचार बाम्बे हॉस्पिटल मुंबई में कराने हेतु दिनांक 14 सितम्बर 2023 का एक दिवस लघुकृत अवकाश की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दो दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 196-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 8 दिसम्बर 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 2-3 व 9-10 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले भारत भ्रमण अंतर्गत पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2023

क्र. एफ-1324336-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस मैनुअल), पु. मु., भोपाल को दिनांक 11 दिसम्बर 2023 से 8 मार्च 2024 तक, नवासी दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सपत्नी कोलंबिया व इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5346-इक्कीस-ब (एक)-2023.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब(एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को जिले न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2) में दर्शित जिले एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

## सारणी

अनु. क्र.	जिला	न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर."

F. No. 5346-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification No. F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)-1888-2019, dated 2<sup>nd</sup> April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12<sup>th</sup> April, 2019 issued under section 3(1) & (2) of Commercial Court Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby, under sub-section (3) Section 3 of said Act appoints the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the Table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it, to be a Judge to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :-

## TABLE

S. No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Dr. Lakhnan Lal Goswami, VII District & Additional Sessions Judge, Indore."

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5524-2023-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेश जैन, व्यवहार न्यायाधीश "वरिष्ठ खण्ड" को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1) (बी) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 144840-194660 (J-5) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

फा. क्र. 5478-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 103), राज्य शासन, श्री दिव्यांश लौवंशी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र लौवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

श्री दिव्यांश लौवंशी का गृह जिला नर्मदापुरम (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर, 1998 है।

पंजी. क्र. 5442-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं रजिस्ट्रार (प्रशासन), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार सौंपता है :-

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पद स्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), उच्च न्यायालय, जबलपुर.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन-रिक्त न्यायालय.
2.	श्री विकास चन्द्र मिश्रा रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, जबलपुर.	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर-रिक्त न्यायालय.

फा. क्र. 5476-इक्कीस-ब(एक)-2023.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब (एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 68 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"68.	श्री मधुसूदन जंघेल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शहडोल.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल."

F. No. 5476-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013. Namely:—

## AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 68 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"68.	Shri Madhusudan Janghel, III Civil Judge Senior Division, Shahdol.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol."

भोपाल, दिनांक 22/23 नवम्बर, 2023

पंजी क्र. 5467-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल-1) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश मध्यस्थता केन्द्र, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहित दीवान एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण श्रीवास्तव, का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5486-2019-फेस-II-इक्कीस-ब(एक) 2023.— (मेरिट क्रमांक 20), राज्य शासन, श्री मोहम्मद सैफी पुत्र श्री सज्जाद हुसैन सैफी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

श्री मोहम्मद सैफी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है एवं उनकी जन्मतिथि 21 अगस्त, 1997 है।

फा. क्र. 5486-2019-फेस-II-इक्कीस-ब(एक) 2023.— (मेरिट क्रमांक 51), राज्य शासन, श्री अरुण सिंह ठाकुर पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

श्री अरुण सिंह ठाकुर का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश) है एवं उनकी जन्मतिथि 8 अप्रैल, 1992 है।

फा. क्र. 5486-2019-फेस-II-इक्कीस-ब(एक) 2023.— (मेरिट क्रमांक 131), राज्य शासन, सुश्री निरंजना मालवीय पुत्री श्री जुझार मालवीय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

सुश्री निरंजना मालवीय का गृह जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) है एवं उनकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर, 1993 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2023

पंजी क्र. 4557-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, छतरपुर में विभागीय आदेश दिनांक 10 अगस्त 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार चौरसिया एवं तहसील-लवकुशनगर "लौंडी", जिला छतरपुर में विभागीय आदेश दिनांक 10 अगस्त 1979 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शिवपाल सिंह का

निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4560-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) में विभागीय आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शैलेन्द्र कुमार गौर को उनके द्वारा प्रेषित त्याग-पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4562-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 8 अप्रैल 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्रीमती जयश्री बसरो को निधन होने के कारण तथा विभागीय आदेश दिनांक 12 फरवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार नांदेचा को उनके द्वारा प्रेषित त्याग-पत्र के आधार पर उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4564-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को उनके द्वारा प्रेषित त्याग-पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2023

क्र.4-2-6-0004-2023-एसएण्डटी-इकतालीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना में, अनुसूची दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है :—

अनुसूची-एक

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.





पद की श्रेणी	पद/संकेत का नाम	संशोधन के अंतर्गत पद	सोपी शर्तों के द्वारा भर 'डूर' पद	विशेष पद (3-3 (b))	विशेष पदों के लिए पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	भर पद	रिक्त पद	बंद और कम सुनने वाले वाले (1.5%) विज्ञापित पद	भर पद	रिक्त पद	लेकोनोट डिप्लोमा विभाग, सी. सी. बल पाली, कुच रामपुरा, बंधानगर एसिड अटैक पीडिया, भंडारर डिप्लोमा (1.5%) विज्ञापित पद	भर पद	रिक्त पद	ऑफिस बौद्धिक विद्यांगता, स्वीडिश लिंग डिप्लोमा और गानसिक बीमारी और रडिकलांगता (1.5%) विज्ञापित पद	भर पद	रिक्त पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भर पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्ति कर सक की जायेगी।
1	2	3	3 (a)	3 (b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
द्वितीय	वैज्ञानिक	34	27	07	02	0	0	0	01	0	01	0	0	01	0	0	0	02	0	02	31/12/2024
	वैज्ञानिक अधिकारी	07	02	05	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	01	0	01	
	स.भ. संसा./ (सं. सं. / संसा./ संसा.)	03	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	संसा. संचालक (पुस्तक/प्र. संसा.)	02	0	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	48	31	15	03	0	0	0	01	0	01	0	0	01	01	0	01	03	0	03	



पद की श्रेणी	पद का नाम	पदों के कुल स्वीकृत पद	पदों के कुल रिक्त पद (3-3 म)	निश्चित तय करने के लिए पदों की संख्या का कुल योग (6%)	दृष्टि राशि का कुल योग (1.5%)	वर्ष और कम बुलने वाले (1.5%)	भरे पद	रिक्त पद	दियागएनी हेतु चिकित्सा पद/भरे पद/रिक्त पद	ऑटोमेटिक रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी।	
1	प्रमुख	3	3 (H)	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	गैर	40	10	03	01	0	01	0	01	0	01	0	03	02	03	01	31/12/2024
	गैर	175	67	11	03	02	02	01	03	0	03	02	11	04	07		
	महायोग																

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्रमांक आर.नं. 2198 / 1664225 / 2023 / 10-3 :: मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7840/X-11/82, दिनांक 20.09.1982 में आंशिक संशोधन करते हुए, वन वृत्त रीवा के सामान्य वनमंडल रीवा, अंतर्गत उपवनमंडलों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र०	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल हे० में	परिक्षेत्र का नाम एवं मुख्यालय	उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण
1	रीवा	मऊगंज	रीवा मु. रीवा	मऊगंज मु. मऊगंज	23669.81	1) मऊगंज 2) हनुमना	उत्तर:- परिक्षेत्र चाकघाट की पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक। पूर्व:- उत्तर प्रदेश की सीमा। दक्षिण:- सीधी जिला की सीमा। पश्चिम:- परिक्षेत्र रीवा एवं सिरमौर की सीमा।
2	रीवा	रीवा	रीवा मु. रीवा	योग	23669.81 48209.58	2) रीवा 3) रीवा 4) सिरमौर 5) सेमरिया	उत्तर:- टमस नदी एवं ग्राम जनकहाई से रीवा - इलाहाबाद रोड तक। पूर्व:- टमस नदी एवं रीवा इलाहाबाद रोड के ग्राम त्योंथर से परिक्षेत्र चाकघाट की पश्चिमी सीमा तक। दक्षिण:- जिला सतना एवं सीधी की सीमा। पश्चिम:- उत्तर प्रदेश एवं जिला सतना की सीमा तक।
3	रीवा	रीवा	रीवा मु. चाकघाट	योग	48209.58 31094.36	3) अतरैला 7) चाकघाट 8) डभौरा	उत्तर:- उत्तर प्रदेश की सीमा। पूर्व:- उत्तर प्रदेश की सीमा। दक्षिण:- टमस नदी उत्तर प्रदेश की सीमा से परिक्षेत्र मऊगंज की उत्तरी सीमा तक। पश्चिम:- टमस नदी से उत्तर प्रदेश की सीमा तक।
वनमण्डल का योग					31094.36 102973.75	3 8	

R.No. 2198 /1664225/2023/10-3 :: Sub Division of Rewa (T) Forest Division are reorganizes by partially amending the Notification NO- 7840/X-11/82 Date 20.09.1982 of Govt. of Madhya Pradesh, Forest Department as under :-

Details of forest Sub-Division Boundary							
S.No.	Name of Forest Circle	Name of District	Name of Forest Division	Name of Forest Sub-Division	Area (Hact.)	Name of Range and Head Quarter	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rewa	Mauganj	Rewa	Mauganj Hq. Mauganj	23669.81	1) Mauganj 2) Hanumana	North-From the western boundary of Range Chaikghat to the state boundary upto Uttar Pradesh. East- Uttar Pradesh state boundary. South- Sidhi District boundary. West- Range boundary of Rewa and Sirmour.
				Total	23669.81	2	North- From Tamas river, village Janakahai boundary to Rewa- Allahabad road. East- From Teonthar village boundary and Rewa- Allahabad road to the western boundary of Range Chaikghat. South- Sidhi and Satna District boundary West- Upto the state boundary of Uttar Pradesh and District Satna.
2	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa Hq. Rewa	48209.58	3) Rewa 4) Sirmour 5) Semariya	North- Uttar Pradesh state boundary. East- Uttar Pradesh state boundary. South- Tamas river from the state boundary of Uttar Pradesh to the northern boundary of Range Mauganj. West- From Tamas river to the state boundary of Uttar Pradesh.
				Total	48209.58	3	
3	Rewa	Rewa	Rewa	Teonthar Hq. Chaikghat	31094.36	6) Atrela 7) Chaikghat 8) Dabhaura	
				Total	31094.36	3	
Division Total					102973.75	8	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

क्रमांक/ 2216 /आर-1330914/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमियों पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इन भूमियों पर व्यक्तियों या समुदायों की वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड निम्नानुसार उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांतर के बीच स्थित है-

- (1) वनखण्ड डिगवार(अ) 26° 16' 46.626" N से 26° 17' 12.420" N तक तथा 77° 18' 32.083" E से 77° 18' 58.131" E तक
- (2) वनखण्ड डिगवार(ब) 26° 16' 1.576" N से 26° 16' 57.148" N तक तथा 77° 17' 31.237" E से 77° 18' 48.895" E तक
- (3) वनखण्ड अटार(अ) 26° 15' 32.895" N से 26° 16' 18.107" N तक तथा 77° 16' 47.276" E से 77° 17' 40.054" E तक
- (4) वनखण्ड अटार(ब) 26° 15' 44.551" N से 26° 16' 33.099" N तक तथा 77° 17' 28.188" E से 77° 18' 27.740" E तक
- (5) वनखण्ड रहु का गाँव 26° 17' 19.456" N से 26° 18' 12.255" N तक तथा 77° 18' 22.912" E से 77° 20' 1.299" E तक

## अनुसूची

तहसील-सबलगढ़  
वनपरिक्षेत्र-सबलगढ़जिला- मुँरैना  
वनमण्डल- मुँरैना

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	डिगवार(अ)	डिगवार	शासकीय राजस्व भूमि	110/1/2	0.420	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार(अ) के मुनारा क्र. 28 से 01 तक एवं मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र.07 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार(अ) के मुनारा क्र. 07 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार(अ) के मुनारा क्र. 14 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम-प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार(अ) के मुनारा क्र. 25 से मुनारा क्र. 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				111/1/1	2.000	
				112/1/1	0.420	
				113/2	0.630	
				115	0.420	
				116/1	2.240	
				117	0.840	
				118/3/1	3.480	
				119	3.340	
				120/1	1.450	
	132/2	0.840				
	133/1	0.500				

				135/1	3.000	
				331/1	0.620	
योग				14(कुल खसरे)	20.200	
2	डिगवार(ब)	डिगवार	शासकीय राजस्व भूमि	37/2	1.520	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार(ब) के मुनारा क्र. 01 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार(ब) के मुनारा क्र.60 से 77 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- वनखण्ड डिगवार(ब) के मुनारा क्र.77 से 87 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- वनखण्ड डिगवार(ब) के मुनारा क्र.87 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				38/1	1.630	
				39/1	1.420	
				40	3.240	
				41	5.020	
				42/1/2	1.550	
				43/2	0.420	
				44/2	1.840	
				133/3	1.500	
				134/1	3.690	
				159/1/1	1.840	
				160/2	0.420	
				168/1	2.630	
				169	3.340	
				170	3.340	
				171/1/1	1.840	
				172/2	1.880	
				173	3.350	
				180/2	2.210	
				181	6.690	
				182	3.340	
				183/1	1.410	
				190	0.150	
				191/1	1.000	
192	6.690					
193	6.690					
194	5.440					
201	3.340					
202	0.420					
205	3.350					
206	3.340					
207	5.020					
208	5.020					
209	3.340					
210	3.350					
211	3.340					
212/1	2.630					
213/1	4.680					
214	3.340					
215	3.350					
216	3.340					
217	3.340					
218	3.340					
219	3.340					
220	3.340					
221	3.340					
222	3.350					
223/1	4.310					
224	6.690					

				225	1.240	
				226	5.020	
				227/1	1.000	
				228/2	0.840	
				235/1	1.050	
				251/1	7.020	
				252/1	10.050	
				253/1	7.100	
				254/1/1	8.710	
				255/1/1	3.630	
				<b>59(कुल खसरे)</b>	<b>198.660</b>	
				130/1	2.532	<p>उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(अ) के मुनारा क्र. 56 से 01 तक एवं 01 से 19 तक कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(अ) के मुनारा क्र. 19 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(अ) के मुनारा क्र. 28 से 38 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पश्चिम- वनखण्ड अटार के मुनारा क्र. 38 से 56 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p>
				189/2/2	1.824	
				190	3.344	
				191/1	2.700	
				192/1	1.700	
				193/2	1.700	
				194	3.344	
				195/1	2.800	
				196/2	0.790	
				197	0.554	
				199/1	0.400	
				200	2.404	
				201	3.344	
				202	2.769	
				203	0.575	
				204/1	0.700	
				205/1	1.200	
				208/1	0.550	
				209/2	0.700	
				210	2.435	
				211	0.909	
				212	2.404	
				213	0.941	
				233/1	1.000	
				232/2	2.080	
				231/1	2.080	
				230/1	1.700	
				229	3.281	
				228	3.344	
				227	3.344	
				225/2	1.700	
				527/1	1.000	
				531/1	3.484	
3	अटार(अ)	अटार	शासकीय राजस्व भूमि			
योग:-						



				529	2.968	
				533/1	1.600	
				532/2	0.845	
				539/2	0.700	
				540/1	0.800	
				541	0.219	
				542	0.136	
				543	0.679	
				544	3.344	
				545	3.344	
				546	1.986	
				547	1.359	
				548	2.665	
				549/1	1.260	
				550/2	1.700	
				226	3.344	
				214	2.529	
				215	0.752	
				217	0.888	
				218/1	1.200	
योग				53(कुल खसरे)	95.950	
4	अटार(ब)	अटार	शासकीय राजस्व भूमि	561	2.153	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(ब) के मुनारा क्र.49 से मुनारा क्र. 01 तक एवं मुनारा क्र. 01 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(ब) के मुनारा क्र. 06 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(ब) के मुनारा क्र. 17 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड अटार(ब) के मुनारा क्र.31 से मुनारा क्र.49 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				570	2.048	
				571	2.895	
				572	3.344	
				573	3.344	
				574	4.233	
				575	1.212	
				576	3.334	
				577	1.588	
				578/1	2.299	
				579	3.344	
				580	3.344	
				581	3.344	
				582	1.850	
				583	3.104	
				584	3.344	
				585	3.187	
				586	2.905	
				587	2.717	
				588	1.390	
				589	3.166	
				596	0.439	
				597	0.157	
				598	1.285	
				599	2.059	
				600	4.150	
				601/1	2.299	
				605/1	0.753	
				641	3.438	
				642	3.669	

				178	3.344	
				179	3.487	
				180	0.700	
				181	3.208	
				182	3.344	
				183	3.344	
				184	3.344	
				<b>37(कुल खसरे)</b>	<b>97.165</b>	
5	रहू का गाँव	रहू का गाँव	शासकीय राजस्व भूमि	82/2/2	20.850	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र.01 से मुनारा क्र. 162 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र. 162 से 215 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र. 215 से 266 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र.266 से मुनारा क्र.01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				82/2/3	0.300	
				383/6/2	70.480	
				639/2	1.660	
				384/4	10.570	
				<b>5(कुल खसरे)</b>	<b>103.860</b>	
		खेरा डिगवार	शासकीय राजस्व भूमि	41/1	32.473	
				48	0.575	
				24/1/1	17.230	
				10/1/1/2	34.293	
			<b>4(कुल खसरे)</b>	<b>84.571</b>		
			<b>9(कुल खसरे)</b>	<b>188.431</b>		
<b>कुल योग</b>						
<b>महायोग</b>				<b>172 (कुल खसरे)</b>	<b>600.406</b>	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-40/2016-FC दिनांक 13/04/2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मुख्य निर्माण अभियंता(अनु. एवं वि.) रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (DRDO) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, P-1, बिल्डिंग, मेटकॉफ हॉउस, दिल्ली की स्वीकृत परियोजना 'मुरैना जिले में रक्षा अनुसंधान एवं शोध केन्द्र (तकनीकी सुविधाएँ) की स्थापना' में प्रभावित 600.406 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 600.406 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में. कलेक्टर मुरैना के आदेश क्रमांक 0001/अ-19(3)/2023-24 दिनांक. 05/10/2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के प्रतिवेदन क्रमांक 1952 दिनांक 10/10/2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2023

क्र.-2216-1330914-2023-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2216-1330914-2023-दस-3, दिनांक 28 नवम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 28<sup>th</sup> November 2023

No./ 2216 /R-1330914/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. These following forest blocks are situated in between North Latitude and East Longitude-

- (1) Forest Block Digwar(A) lies between 26°16'46.626"N to 26°17'12.420"N And 77°18'32.083"E to 77° 18'58.131"E
- (2) Forest Block Digwar(B) lies between 26°16' 1.576"N to 26° 16' 57.148"N and 77° 17' 31.237"E to 77° 18' 48.895" E
- (3) Forest Block Atar(A) lies between 26° 15' 32.895"N to 26° 16' 18.107"N and 77° 16' 47.276"E to 77° 17' 40.054"E
- (4) Forest Block Atar(B) lies between 26° 15' 44.551"N to 26° 16' 33.099"N and 77° 17' 28.188"E to 77° 18' 27.740"E
- (5) Forest Block Rahu ka goan lies between 26° 17' 19.456"N to 26° 18' 12.255"N and 77° 18' 22.912"E to 77° 20' 1.299" E.

**SCHEDULE**

District :- Morena

Tahsil:- Sabalagarh

Forest Division:- Morena

Forest Range:- Sabalagarh

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Digwar(A)	Digwar	Govt. Revenue Land	110/1/2	0.420	<b>North-</b> Artificial forest boundary From pillar no 28 to 01 and from pillar no 01 to pillar no 07 of forest block Digwar(A) <b>East-</b> Artificial forest boundary from pillar no 07 to 14 of forest block Digwar(A). <b>South-</b> Artificial forest boundary from pillar no 14 to 25 of forest block Digwar(A). <b>West-</b> Artificial forest boundary from pillar no 25 to 28 of forest block Digwar(A).
				111/1/1	2.000	
				112/1/1	0.420	
				113/2	0.630	
				115	0.420	
				116/1	2.240	
				117	0.840	
				118/3/1	3.480	
				119	3.340	
				120/1	1.450	
				132/2	0.840	
				133/1	0.500	
				135/1	3.000	
				331/1	0.620	
<b>Sum</b>				<b>14(Total Khasare)</b>	<b>20.200</b>	
2	Digwar(B)	Digwar	Govt. Revenue Land	37/2	1.520	<b>North-</b> Artificial forest boundary from pillar no 01 to 60 of forest block Digwar(B). <b>East</b> Artificial forest boundary from pillar no 60 to 77 of forest block Digwar(B). <b>South-</b> Artificial forest boundary from pillar no 77 to 87 of forest block Digwar(B). <b>West-</b> Artificial forest boundary from pillar no 87 to 01 of forest block Digwar(B).
				38/1	1.630	
				39/1	1.420	
				40	3.240	
				41	5.020	
				42/1/2	1.550	
				43/2	0.420	
				44/2	1.840	

	133/3	1.500
	134/1	3.690
	159/1/1	1.840
	160/2	0.420
	168/1	2.630
	169	3.340
	170	3.340
	171/1/1	1.840
	172/2	1.880
	173	3.350
	180/2	2.210
	181	6.690
	182	3.340
	183/1	1.410
	190	0.150
	191/1	1.000
	192	6.690
	193	6.690
	194	5.440
	201	3.340
	202	0.420
	205	3.350
	206	3.340
	207	5.020
	208	5.020
	209	3.340
	210	3.350
	211	3.340
	212/1	2.630
	213/1	4.680
	214	3.340
	215	3.350
	216	3.340
	217	3.340
	218	3.340
	219	3.340
	220	3.340
	221	3.340
	222	3.350
	223/1	4.310
	224	6.690
	225	1.240
	226	5.020
	227/1	1.000
	228/2	0.840
	235/1	1.050
	251/1	7.020
	252/1	10.050
	253/1	7.100
	254/1/1	8.710
	255/1/1	3.630
Sum	59(Total Khasare)	198.660

3	Atar(A)	Atar	Govt. Revenue Land			<p><b>North-</b> Artificial forest boundary from pillar no 56 to 01 and pillar no 01 to pillar no 19 of forest block Atar(A).</p> <p><b>East-</b> Artificial forest boundary from pillar no 19 to 28 of forest block Atar(A).</p> <p><b>South-</b> Artificial forest boundary from pillar no 28 to 38 of forest block Atar(A).</p> <p><b>West-</b> Artificial forest boundary from pillar no 38 to 56 of forest block Atar(A).</p>
				130/1	2.532	
				189/2/2	1.824	
				190	3.344	
				191/1	2.700	
				192/1	1.700	
				193/2	1.700	
				194	3.344	
				195/1	2.800	
				196/2	0.790	
				197	0.554	
				199/1	0.400	
				200	2.404	
				201	3.344	
				202	2.769	
				203	0.575	
				204/1	0.700	
				205/1	1.200	
				208/1	0.550	
				209/2	0.700	
				210	2.435	
				211	0.909	
				212	2.404	
				213	0.941	
				233/1	1.000	
				232/2	2.080	
				231/1	2.080	
				230/1	1.700	
				229	3.281	
				228	3.344	
				227	3.344	
				225/2	1.700	
				527/1	1.000	
				531/1	3.484	
				529	2.968	
				533/1	1.600	
				532/2	0.845	
				539/2	0.700	
				540/1	0.800	
				541	0.219	
				542	0.136	
				543	0.679	
				544	3.344	
				545	3.344	
				546	1.986	

				547	1.359	
				548	2.665	
				549/1	1.260	
				550/2	1.700	
				226	3.344	
				214	2.529	
				215	0.752	
				217	0.888	
				218/1	1.200	
				<b>53(Total Khasare)</b>	<b>95.950</b>	
	<b>Sum</b>					
4	Atar(B)	Atar	Govt. Revenue Land	561	2.153	<p><b>North-</b> Artificial forest boundary from pillar no 49 to 01 and pillar no 01 to pillar no 06 of forest block Atar(B).</p> <p><b>East-</b> Artificial forest boundary from pillar no 06 to 17 of forest block Atar(B).</p> <p><b>South-</b> Artificial forest boundary from pillar no 17 to 31 of forest block Atar(B).</p> <p><b>West-</b> Artificial forest boundary from pillar no 31 to 49 of forest block Atar(B).</p>
				570	2.048	
				571	2.895	
				572	3.344	
				573	3.344	
				574	4.233	
				575	1.212	
				576	3.334	
				577	1.588	
				578/1	2.299	
				579	3.344	
				580	3.344	
				581	3.344	
				582	1.850	
				583	3.104	
				584	3.344	
				585	3.187	
				586	2.905	
				587	2.717	
				588	1.390	
				589	3.166	
				596	0.439	
				597	0.157	
				598	1.285	
				599	2.059	
				600	4.150	
				601/1	2.299	
				605/1	0.753	
				641	3.438	
				642	3.669	
				178	3.344	
				179	3.487	
				180	0.700	
				181	3.208	
				182	3.344	
				183	3.344	
				184	3.344	
				<b>37(Total Khasare)</b>	<b>97.165</b>	

5	Rahu ka Goan	Rahu ka Goan	Govt. Revenue Land	82/2/2	20.850	<b>North-</b> Artificial forest boundary from pillar no 01 to 162 of forest block Rahu ka Goan. <b>East-</b> Artificial forest boundary from pillars no 162 to 215 of forest block Rahu ka Goan. <b>South-</b> Artificial forest boundary from pillar no 215 to 266 of forest blocks Rahu ka Goan. <b>West-</b> Artificial forest boundary from pillar no 266 to 01 of forest block Rahu ka Goan.
				82/2/3	0.300	
				383/6/2	70.480	
				639/2	1.660	
				384/4	10.570	
	<b>5(Total Khasare)</b>				<b>103.860</b>	
	Khera Digwar	Govt. Revenue Land	41/1	32.473		
			48	0.575		
			24/1/1	17.230		
			10/1/1/2	34.293		
<b>4(Total Khasare)</b>				<b>84.571</b>		
<b>Sum</b>				<b>9(Total Khasare)</b>	<b>188.431</b>	
<b>Total Sum</b>				<b>172(Total Khasare)</b>	<b>600.406</b>	

**(A) Reason for publication of Notification:**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No.8-40/2016-FC dated 13/04/2017 and in lieu of 600.406 Hectare of forest land affected in the project "Establishment of technical facility in Morena district of Defense Research and Development Organization (DRDO), Ministry of defense, Govt. Of India, Delhi", the above mentioned Non Forest Land of 600.406 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No 0001/A-19(3)/2023-24 Dated 05/10/2023 of District Collector, Morena for the purpose of compensatory afforestation.

**2. Details of other Reasons- Nil**

**(B)** The Khasara wise details of recorded rights on the land mentioned in the schedule above as per report No 1952 Dated 10/10/2023 of Sub Divisional Officer, Revenue dept. Sabalgarh District Morena are as under.

1. Individual Rights-Nil
2. Community Rights-Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प. क्र. 0004-अ-82-2022-23

सीहोर, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

**{अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)}**

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि सीप अम्बर सिचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी, तहसील भैरुंदा में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम एवं रोड निर्माण कार्य हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (2)								
सीप अम्बर सिचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी, तहसील भैरुंदा में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम एवं रोड निर्माण कार्य हेतु								
स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल, जाति केवट, भूमि स्वामी	147	1.497	0.000	1.497	0.105	0.000	0.105
2.	ब्रजमोहन पिता कुंवरसिंह जाति अहीर पता सीहोर म0प्र0 भूमि स्वामी	144 / 1	1.507	0.000	1.507	0.320	0.000	0.320
		145 / 1	1.111	0.000	1.111	0.260	0.000	0.260
		146	0.817	0.000	0.817	0.275	0.000	0.275
			<b>4.932</b>	<b>0.000</b>	<b>4.932</b>	<b>0.960</b>	<b>0.000</b>	<b>0.960</b>

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संशाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय पारंपरिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू0 अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(3) समुचित सरकार की वेबसाइट की वेबसाइट [WWW.sehore.nic.in](http://WWW.sehore.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

सीप अम्बर सिचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी, तहसील भैरुंदा में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम एवं रोड निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 19 के तहत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढ़ायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र.-A-5896-तीन-10-42-75-(छिंदवाड़ा-जुन्नारदेव).-  
उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-6252, दिनांक  
02-09-2023, जो कि जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की  
श्रृंखला न्यायालय जुन्नारदेव (जिला छिंदवाड़ा) के संचालन से  
संबंधित है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No.B-5896-III-10-42-75-(Chhindwara-Junardeo)  
High Court Notification No. B-6252, dated 02-09-  
2023, relating to holding of link Court of District &  
Additional Session Judge cadre at Junnardeo  
(District Chhindwara), is hereby stands cancelled.

By order of Hon'ble Chief Justice

**SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar**

जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

क्र.-A-6268-दो-2-57-2009.- श्री एफ.एच. काजी, एस.  
पी.एस.ए. (एस.ए.) एंड सी.पी.सी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,  
जबलपुर को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2023 तक छः दिन का  
अर्जित अवकाश मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित  
स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एफ.एच. काजी, एस.पी.एस.ए. (एस.ए.)  
एंड सी.पी.सी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर  
पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर  
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ.एच. काजी, उपरोक्तानुसार  
अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) एंड सी.पी.सी.  
के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-7453-दो-3-66-2007.- श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार  
(M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 20  
अक्टूबर 2023 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया  
जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च  
न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया  
जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी  
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार  
अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत  
रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति के अनुदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्र.-A-5843-दो-2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव,  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 29 से 30  
सितम्बर 2023 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया  
जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर 2023  
के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 अक्टूबर 2023  
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की  
जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं  
सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर  
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार  
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद  
पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-5845-दो-2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत,  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 20 से  
23 सितम्बर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत  
किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 18  
सितम्बर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक  
24 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 19 सितम्बर  
2023 के स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की  
जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला  
एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर  
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत,  
उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-5847-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री लखन लाल  
गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को  
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र  
क्रमांक-3487-21-ब(एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के  
संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त  
विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश)  
नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार श्री गर्ग की सेवानिवृत्ति  
दिनांक 31 अगस्त 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की  
स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.	अर्जित अवकाश	—	229
	अर्द्धवेतन अवकाश	—	71
			योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी.

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 229 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक

अवकाश के एवज =  $\frac{\text{अर्धवेतनिक अवकाश के एवज}}{30} \times 71$  में नगद भुगतान

क्र.-A-5849-दो-2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2023 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र.-A-5855-दो-2-56-2021.- श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-A-5857-दो-2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार 2-2 वर्ष की ब्लाक अवधियों के लिए 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 06 सितम्बर 2016 से दिनांक 05 सितम्बर 2018 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद

भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 6 सितम्बर 2018 से दिनांक 5 सितम्बर 2020 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

3. दिनांक 6 सितम्बर 2020 से दिनांक 5 सितम्बर 2022 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-A-5859-दो-2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को दिनांक 3 से 10 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-21-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-A-5861-दो-2-10-2018.- कु. भावना साधू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र.-A-5863-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर वर्तमानमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र.-A-5865-दो-2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 31 अगस्त 2023 से 2 सितम्बर 2023 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

Ø & A-5867-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-7176-दो-2-34-2023.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक का चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-D-4120-दो-2-26-2022.- श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 5 से 7 अक्टूबर 2023 का तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4122-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 16 नवम्बर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

Ø & D-4124-दो-2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2023 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-D-4126-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 29 से 30 सितम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-डी-4128-दो-2-52-2023.- कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मन्दसौर को दिनांक 11 से 14 सितम्बर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-डी-4130-दो-2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-डी-4132-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 8 से 15 सितम्बर 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में

दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 19 सितम्बर 2023 के स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-बी-7203-दो-2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2023 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-बी-7205-दो-2-31-2022.- श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 30 जून 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 30 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश मोहन प्रधान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-बी-7207-दो-2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 24 अक्टूबर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-बी-7209-दो-2-56-2021.- श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-बी-7211-दो-2-52-2023.- कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मन्दसौर को दिनांक 4 से 6 सितम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-बी-7217-दो-2-52-2021.- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 30 सितम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

2. दिनांक 30 सितम्बर 2023 एवं 03 से 05 अक्टूबर 2023 तक का कुल चार दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश दिनांक 27 सितम्बर की शाम से 06 अक्टूबर 2023 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

क्र.-ए-6260-दो-2-47-2022.- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 25 अक्टूबर 2023 से 4 नवम्बर 2023 तक, ग्यारह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है। अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-ए-6262-दो-2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-ए-6264-दो-3-21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-ए-6266-दो-2-56-2021.- श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 06 से 07 अक्टूबर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया

जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-ए-6270-दो-2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-ए-6272-दो-2-63-2018.- श्री आर.के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 29 से 30 सितम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-ए-6274-दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक, के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-ए-6276-दो-2-15-2019.- श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के अनुदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.